अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

यह अध्याय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट हुआ है। पीएसयू में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) की स्वामित्व वाली कंपनियाँ, संसद और सरकार द्वारा अधिनियमित संविधियों के तहत स्थापित सांविधिक निगम और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ (जीसीओसी) शामिल हैं। वर्ष 2020-21 (या विगत वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा इन पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने के पश्चात जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी इस अध्याय में चर्चा की गयी है।

5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, और इसमें एक कंपनी सम्मिलित होती है जो सरकारी कंपनी की अनुषंगी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा संचालित की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकारों को कंपनियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है, उन पर निदेशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक

[1] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनियों (कठिनाईयों का अपसारण) के सातवें आदेश, 2014 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014

लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार है। संविधियों द्वारा शासित सांविधिक निगमों को उनके लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक है।

5.3 जेएण्डके के जीएसडीपी में पीएसयू और उनका अंशदान

पीएसयू की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुये वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के संचालन हेतु की जाती है और यह जेएण्डके की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2021 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में 42 पीएसयू थे। इनमें 39 सरकारी कंपनियाँ (छह[2] निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित), दो सांविधिक निगम और एक सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी[3] शामिल हैं। इन पीएसयू के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में दिये गये हैं।

एक पीएसयू (जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। पूँजी (जीओजेएण्डके: ₹56.59 करोड़ और अन्य: ₹0.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹0.83 करोड़ (जीओजेएण्डके: ₹0.83 करोड़ और अन्य: शून्य) के प्रति ₹57.57 करोड़ के निवेश वाले छह निष्क्रिय पीएसयू (चार परिसमापनाधीन सहित) हैं। यह एक विवेचनात्मक क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय पीएसयू में निवेश जेएण्डके की आर्थिक वृद्धि में अंशदान नहीं करता है। इसलिए सरकार इन निष्क्रिय पीएसयू को शीघ्र बंद करने पर विचार कर सकती है।

जेएण्डके के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) हेतु पीएसयू के कुल कारोबार का अनुपात जेएण्डके की अर्थव्यवस्था में उनकी गतिविधियों के अंशदान को इंगित करता है। पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है।

तालिका 5.1 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि हेतु पीएसयू के कुल कारोबार और जेएण्डके के जीएसडीपी का विवरण उपलब्ध कराती है।

---

[2] (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड और (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र और (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड।

[3] चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्राइवेट) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), जेकेपीडीसी का एक संयुक्त उद्यम, राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत निगम (एनएचपीसी) और विद्युत व्यापार निगम (पीटीसी) जिसमें जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया है।

तालिका 5.1: जेएण्डके के जीएसडीपी की तुलना में पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार कुल कारोबार	9,784.90	11,298.17	10,590.68
जेएण्डके का जीएसडीपी	1,54,441.00	1,69,181.79	1,76,282.00
जेएण्डके के जीएसडीपी के लिए कुल कारोबार का प्रतिशत	6.34	6.68	6.01

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वर्तमान मूल्यों और साल दर साल की तुलना हेतु पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं पर जीओजेएण्डके के वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जीएसडीपी आँकड़ों पर आधारित संकलन)

जीएसडीपी में पीएसयू का अंशदान वर्ष 2018-19 में 6.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 6.01 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 में पीएसयू के कुल कारोबार में प्रमुख अंशदानकर्त्ता जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹8,111.09 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹1,037.85 करोड़) और जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹438.50 करोड़) थे।

5.4 पीएसयू में निवेश और बजटीय सहायता

5.4.1 इक्विटी धारिता एवं दिये गये ऋण

31 मार्च 2021 तक, 42 पीएसयू में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किये गये निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 5.3*** में दिया गया है। इस निवेश का क्षेत्र-वार सारांश **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: जेएण्डके सरकार का पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	पीएसयू की संख्या	निवेश				कुल निवेश	जीओजेण्डके का कुल निवेश
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण			
		कुल	जीओजेण्डके	कुल	जीओजेण्डके		
विद्युत क्षेत्र के पीएसयू	6	5,073.32	2,593.54	7,269.04	0.00	12,342.36	2,593.54
गैर-विद्युत क्षेत्र के पीएसयू	36	969.10	847.80	5,021.44	1,437.72	5,990.54	2,285.52
कुल	**42**	**6,042.42**	**3,441.34**	**12,290.48**	**1,437.72**	**18,332.90**	**4,879.06**

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

निवेश का जोर मुख्यत: विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र ने ₹18,332.90 करोड़ के कुल निवेश का 67.32 प्रतिशत (₹12,342.36 करोड़) आकृष्ट किया था। जीओजेएण्डके ने इसके ₹4,879.06 करोड़ के कुल निवेश का 53.16 प्रतिशत (₹2,593.54 करोड़) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश किया था।

5.4.2 पीएसयू को सहायिकी और अनुदान

जीओजेएण्डके वार्षिक बजट के माध्यम से, इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, बट्टे खाते डाले गये ऋण और इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में पीएसयू को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों हेतु पीएसयू के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सहायिकी, बट्टे खाते में डाले गये ऋण और इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया हैः

तालिका 5.3: वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान पीएसयू हेतु जीओजेएण्डके द्वारा बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		पीएसयू* की संख्या	राशि	पीएसयू* की संख्या	राशि	पीएसयू* की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजीगत व्यय	9	120.74	3	2,616.82	7	83.47
2.	दिये गये ऋण	9	56.18	8	48.07	7	51.85
3.	उपलब्ध कराये गये अनुदान/ सहायिकी	8	48.91	12	100.50	11	3,016.38
	कुल व्यय		**225.83**		**2,765.39**		**3,151.70**
4.	बट्टे खाते डाले गये ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
5.	इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण	-	-	-	-	2	152.42
6.	जारी की गई प्रत्याभूतियाँ	1	20.00	-	-	-	-
7.	बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	1,822.09	3	1,580.90	5	7,698.97

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

** पीएसयू की संख्या उन पीएसयू का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक या एक से अधिक शीर्षों अर्थात् इक्विटी, ऋण और अनुदान/ सहायिकी के अंतर्गत बजट से व्यय प्राप्त किया है।*

वर्ष 2002-21 के दौरान सहायता में वृद्धि मुख्य रूप से चार विद्युत क्षेत्र के पीएसयू, अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, को दिये गये अनुदान/ सहायिकी के कारण हुयी थी। वर्ष 2020-21 में प्रत्याभूति प्रतिबद्धताओं में वृद्धि जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹1,539.71 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड (₹6,012.24 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹64.05 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड (₹73.87 करोड़) और जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड (₹9.10 करोड़) के संबंध में थी।

5.4.3 जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, बकाया ऋणों और प्रत्याभूतियों के संबंध में आँकड़े जीओजेएण्डके के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित आँकड़ों से सुमेलित होने चाहिए। आँकड़े सुमेलित नहीं होने की स्थिति में, संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को अंतरों का मिलान संचालित करना चाहिए। 31 मार्च 2021 तक पीएसयू द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का वित्त लेखे में दर्शाये गये आँकड़ो के मध्य असंतुलन नीचे **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: मार्च 2021 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया ऋण	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों[4] के अनुसार राशि	अंतर
शेयर पूँजी	2,969.92	2,970.80	0.88
बकाया ऋण	538.81	907.80	368.79
प्रत्याभूतियाँ	27.63	7,625.82	7,598.19

(स्रोत: पीएसयू और वित्त लेखे से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

आठ पीएसयू के संबंध में अंतर घटित हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में वर्णित है। आँकड़ो के मध्य अंतर विगत कई सालों से निरंतर है। अंतरों के मिलान का मामला भी समय-समय पर पीएसयू और विभागों के साथ उठाया गया था। बकाया ऋणों और इक्विटी दोनों से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम में शेषों में मुख्य अंतर प्रेक्षित किया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड से बकाया प्रत्याभूतियों की जानकारी प्रतीक्षित थी, जिन्होंने उपर्युक्त तालिका में चर्चा किये गये अंतरो में योगदान किया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि जीओजेएण्डके और संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से लेखाओं में अंतर का समाधान करना चाहिये।

5.4.4 पीएसयू में ऋण देयताओं को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, कि क्या कोई कंपनी ऋण शोधन क्षम रह सकती है। ऋण शोधन क्षम मानने हेतु, किसी अधिष्ठान की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/ कर्जो की राशि से अधिक होना चाहिए। 18 पीएसयू, जिनके पास 30 नवम्बर

[4] मार्च 2021 तक के अलेखापरीक्षित वर्तमान आंकड़े।

2021 तक के अपने नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों मूल्य द्वारा दीर्घकालिक ऋणों की कवरेज नीचे **तालिका 5.5** में दी गयी है।

तालिका 5.5: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋणों की कवरेज

पीएसयू की प्रकृति	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के प्रति परिसंपत्तियों का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के प्रति परिसंपत्तियों का प्रतिशत
	(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम	2	715.45	1,651.77	230.87	0	0	0	0
सरकारी कंपनी	11	4,573.18	1,34,325.47	2,937.47	5	1,279.20	347.83	27.19
कुल	**13**	**5,288.63**	**1,35,977.24**	**3,168.12**	**5**	**1,279.20**	**347.83**	**27.19**

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

5.4.5 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण

बाजार पूँजीकरण कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जोकि सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2021 तक, स्टॉक एक्सचेन्ज पर सूचीबद्ध ₹71.36 करोड़ की कुल प्रदत्त इक्विटी वाला केवल एक पीएसयू, अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड था। बैंक की ₹71.36 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी का अधिकांश भाग (68.18 प्रतिशत) जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा और शेष (31.82 प्रतिशत)[5] विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तिगत एवं अन्य द्वारा प्रतिधारित है। जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2020 तक ₹881.83 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 तक ₹1,901.35 करोड़ था।

5.4.6 विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएसयू के विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

5.5 पीएसयू से प्रतिफल

वर्ष 2020-21 के दैरान 12 पीएसयू थे, जिन्होंने अपने अंतिम रूप दिये गये वित्तीय विवरणों में लाभ सूचित किया, जैसा की ***परिशिष्ट 5.5*** में वर्णित है। सूचित किया गया अर्जित लाभ वर्ष 2019-20 में ₹346.36 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2020-21 में ₹520.12 करोड़ हो गया।

शीर्ष तीन पीएसयू का संक्षिप्त विवरण, जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान किया, **तालिका 5.6** में दिया गया है।

[5] भारतीय म्यूचूअल फंड, बीमा कंपनियाँ, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय।

तालिका 5.6: शीर्ष तीन पीएसयू जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान किया

एसपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल एसपीएसई लाभ के प्रति लाभ का प्रतिशत
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	428.45	82.37
जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	31.47	6.05
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	20.42	3.93
कुल	**480.34**	**92.35**

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

यह देखा जा सकता है कि इन तीन एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के दौरान, 12 एसपीएसई द्वारा उपार्जित ₹520.12 करोड़ के कुल लाभ के 92.35 प्रतिशत का योगदान किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि जीओजेएण्डके, अपने हानि वाले पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे एवं उन्हें सुधारने के उपायों पर विचार करे, क्योंकि वे सार्वजनिक राजकोष पर पर्याप्त निकासन का कारण बन रहे हैं।

5.5.1 पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान

30 नवम्बर 2021 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार, 12 पीएसयू ने ₹520.12 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। किसी भी पीएसयू ने लाभांश[6] घोषित/ भुगतान नहीं किया था।

5.6 ऋण सेवा एवं विधिक अनुपालन

5.6.1 पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण की स्थिति

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 5.7: दीर्घकालिक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में दीर्घकालिक ऋण		
	जीओजेएण्डके	अन्य	कुल
2018-19	2,142.76	4,630.89	**6,773.65**
2019-20	1,567.01	4,358.66	**5,925.67**
2020-21	1,437.72	10,852.46	**12,290.48**

मार्च 2019 समाप्ति पर पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण ₹6,773.65 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2021 तक ₹5,925.67 करोड़ हो गये। वे मुख्यतः जेकेपीडीसी और जम्मू

[6] केवल उन पीएसयू पर विचार किया गया था जिन्होंने वर्ष 2020-21 हेतु लेखाओं को प्रस्तुत किया था।

एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिये गये क्रमशः ₹1,256.80 करोड़ और ₹6,012.24 करोड़[7] के दीर्घकालिक ऋणों के कारण मार्च 2021 के अंत तक बढ़कर ₹12,290.48 करोड़ हो गये। पीएसयू के कुल दीर्घकालिक ऋण में जीओजेएण्डके का शेयर मार्च 2019 के अंत तक ₹2,142.76 करोड़ से घटकर मार्च 2021 के अंत तक ₹1,437.72 करोड़ हो गया।

5.6.2 पीएसयू में ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का प्रयोग कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता का निर्धारण करने हेतु किया जाता है और इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व (ईबीआईटी) कंपनी के उपार्जनों को उक्त अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतना ही कम होगी। एक से नीचे का आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या	ब्याज कवरेज अनुपात वाले पीएसयू की संख्या	
				एक से अधिक	एक से कम
2016-17	433.61	-795.05	17	4	13
2017-18	413.61	872.62	17	6	11
2018-19	529.65	1,360.47	15	6	9
2019-20	493.47	-452.04	15	7	8
2020-21	529.36	1,031.19	14	7	7

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों से

[7] क्रय की गयी विद्युत के कारण अतिदेयों के निपटान हेतु जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड के पक्ष में संस्वीकृत ₹11,024.47 करोड़ (विद्युत वित्त निगम लिमिटेड: ₹8,234.47 करोड़ और आरईसी लिमिटेड से: ₹2,790 करोड़) की राशि के एक विशेष दीर्घकालिक पारगमन ऋण सहित, जिसमें से ₹6,012.24 करोड़ की राशि के ऋण का लाभ उठाया गया है।

ऋण की देयता वाले 14 पीएसयू[8] में से, सात पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। जबकि, शेष सात पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जिसने इंगित किया कि ये सात पीएसयू अवधि के दौरान ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सकी थी।

5.6.3 सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, जीओजेएण्डके द्वारा उपलब्ध कराये गये आठ पीएसयू के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹2,763.97 करोड़ की राशि का ब्याज बकाया था। पीएसयू में सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण **तालिका 5.9** में किया गया है।

तालिका 5.9: सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	जीओजेएण्डके के ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	एक से तीन वर्षो के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	तीन वर्षो से अधिक के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज
1.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	714.69	0	118.17	596.52
2.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	4.57	0.13	0.26	4.18
3.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	931.67	19.27	57.73	854.67
4.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.20	0	0	0.20
5.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	978.78	0	184.78	794.00

[8] छह निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड और (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, छह कार्यशील पीएसयू (1) जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड, (2) एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन, (3) जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (4) जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, (5) श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, (6) जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिन्होंने प्रारंभ से अपने लेखे कभी प्रस्तुत नहीं किये। 12 पीएसयू, (1) जेकेबी वित्तीय सेवा लिमिटेड (2) जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड (4) जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड (5) जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन (6) जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड, (7) श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (8) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, (9) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड और (10) जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (11) कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और (12) जम्मू एवं कश्मीर आईटी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है, और चार पीएसयू (1) जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, (2) जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और (4) जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड जिन्होंने लेखा की अपनी बहियों में ब्याज का उपलब्ध नहीं कराया है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	जीओजेएण्डके के ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	एक से तीन वर्षो के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज	तीन वर्षो से अधिक के लिए जीओजेएण्डके के बकाया ऋणों पर ब्याज
6.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	44.08	0	0	44.08
7.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1.81	0.19	1.62	0
8.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	88.17	0	0	88.17
कुल		**2,763.97**	**19.59**	**362.56**	**2,381.82**

(स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

5.7 पीएसयू की परिचालन दक्षता

5.7.1 उत्पादन का मूल्य

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियाँ और नियोजित[9] पूँजी का ब्यौरा **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका 5.10: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियाँ और नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियाँ	नियोजित पूँजी
2018-19	9,784.90	1,13,642.20	7,653.33
2019-20	11,298.17	1,26,488.40	5,960.28
2020-21	10,590.64	1,36,643.45	5,865.24

(*स्रोतः कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)*

उत्पादन का मूल्य और कुल परिसंपत्तियाँ वर्ष 2018-19 में क्रमशः ₹9,784.90 करोड़ और ₹1,13,642.20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में क्रमशः ₹11,298.17 करोड़ और ₹1,26,488.40 करोड़ हो गयी। हालांकि, वर्ष 2020-21 में उत्पादन का मूल्य घटकर ₹10,590.64 करोड़ और कुल परिसंपत्तियाँ बढ़कर ₹1,36,643.45 करोड़ हो गयी। नियोजित पूँजी वर्ष 2018-19 में ₹7,653.33 करोड़ से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹5,865.24 करोड़ रह गयी।

[9] नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय।

5.7.2 सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल

आरओआई वैकल्पिक निवेश अवसरों या बेंचमार्क निवेश अवसर की तुलना में समय के साथ निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु एक निष्पादन मापन है। जीओजेएण्डके का केवल एक पीएसयू, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ आरओआई की गणना ***परिशिष्ट 5.6*** में दी गयी है। मार्च 2021 की समाप्ति पर विगत पाँच वर्षों के दौरान आरओआई का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

तालिका 5.11: सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरओआई[10]	532.82	409.61	361.60	182.79	243.81

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक आरओआई ने घटते हुयी प्रवृत्ति को दर्शाया, हालांकि, यह वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर भी 3.59 प्रतिशत से घटकर (-) 2.05 प्रतिशत रह गयी और वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें (-) 0.67 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

5.7.3 सूचीबद्ध पीएसयू में नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)[11] एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[12] शेयरधारकों की निधि द्वारा दिये गये कर के पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी की आरओसीई और आरओई

---

[10] आरओआई = (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बाजार पूँजीकरण में सरकार की हिस्सेदारी + वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सरकार की लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य + वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सरकार की विनिवेश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य) - (प्रारंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी + प्रारंभ में सरकार द्वारा निवेश की गयी इक्विटी की छूट मूल्य + प्रारंभ में बैठक परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु निवेशित सहायिकी/ अनुदान का रियायती मूल्य)/ (प्रारंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी + प्रारंभ में सरकार द्वारा निवेश की गयी इक्विटी का छूट मूल्य + प्रारंभ में बैठक परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु निवेशित सहायिकी/ अनुदान का छूट मूल्य)/ वार्षिक अवधियों में हस्तक्षेप की संख्या।

[11] आरओसीई = ब्याज और कर से पहले का उपार्जन/ नियोजित पूँजी। आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिये पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

[12] आरओई = कर के पश्चात् लाभ/ शेयरधारक निधि, शेयरधारक निधि = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार और अधिशेष - आस्थगित राजस्व व्यय - संचित हानियाँ।

का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: सूचीबद्ध पीएसयू की आरओसीई एवं आरओई

(प्रतिशत में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरओसीई	-36.75	11.55	17.93	-23.18	15.50
आरओई	-65.00	7.56	15.46	-61.63	21.00

आरओसीई और आरओई विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2016-17 और वर्ष 2019-20 को छोड़कर) के दौरान उच्च स्तर पर थे जो मुख्यत: जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था। वर्ष 2016-17 और 2019-20 के दौरान आरओसीई और आरओई बैंक द्वारा उठाये गये नुकसान के कारण नकारात्मक थे।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के संबंध में निवेश के वसूलीकृत मूल्य[13] पर आरओसीई की गणना की गयी जो निम्नानुसार है:

तालिका 5.13: शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुये सूचीबद्ध पीएसयू हेतु आरओसीई

(प्रतिशत में)

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
-33.78	10.12	16.17	-18.06	12.20

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान आरओसीई (-) 33.78 प्रतिशत से 16.17 प्रतिशत के बीच रही।

5.7.4 गैर-सूचीबद्ध पीएसयू की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और इक्विटी

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान गैर-सूचीबद्ध पीएसयू[14] की आरओसीई और आरओई का विवरण **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका 5.14: नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीबीआईटी	पीएटी	नियोजित पूँजी	शेयरधारकों की निधि	आरओसीई	आरओई
2016-17	609.46	226.74	6,586.07	3,273.31	9.25	6.93
2017-18	391.70	-8.52	7,826.10	3,999.47	5.01	-0.21
2018-19	350.81	-29.92	7,779.10	3,811.35	4.51	-0.79
2019-20	480.33	117.26	7,878.91	3,433.16	6.10	3.42
2020-21	437.75	-119.66	7,593.02	3,040.39	5.77	-3.94

[13] शेयर प्रीमियम सहित निवेश।

[14] सीवीपीपीपीएल को छोड़कर क्योंकि इसकी सभी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान आरओसीई की सीमा 4.51 प्रतिशत और 9.25 प्रतिशत के बीच रही एवं आरओई की सीमा (-) 3.94 प्रतिशत और 6.93 प्रतिशत के बीच रही।

5.7.5 सरकारी निवेश पीएसयू पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

31 मार्च 2021 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को वर्तमान मूल्य पर लाने हेतु, निवेश की गयी धनराशि के वर्तमान मूल्य की गणना की गयी थी, जहाँ जीओजेएण्डके द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में निवेश किया गया था। परिचालनात्मक और प्रबंधन खर्चों हेतु सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/ सहायिकी पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों की स्थापना से 31 मार्च 2021 तक परिचालनात्मक और प्रबंध खर्चों और अन्य उद्देश्य हेतु द्विभाजन उपलब्ध नहीं था।

इन उपक्रमों में पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गयी थी:

- ब्याज मुक्त ऋणों को निधि निवेशन माना जाता है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋणों के घटाये गये शेषों पर की गयी थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु, सरकार की उधारियों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुँचने हेतु छूट दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गयी लागत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- जीओजेएण्डके ने जेकेपीडीसी में इक्विटी के रूप में ₹5.00 करोड़ का निवेश किया। इसके अतिरिक्त, जीओजेएण्डके ने भी पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कंपनी (1994-95) के आरंभ से योजना निधियाँ उपलब्ध करायी, जिन्हें द्विभाजित नहीं किया जा सका, उन पर विचार नहीं किया गया है। जेकेपीडीडी को दी गयी योजना निधि और जीओजेएण्डके द्वारा जेकेपीडीसी को हस्तातंरित परिसंपत्तियों को, जिन्हें बाद में इक्विटी में प्रत्यावर्तित किया गया, वर्ष 2019-20 में इक्विटी अंशदान में जोड़ दिया गया है।
- जेपीडीसीएल, केपीडीसीएल, जेकेपीटीसीएल, और जेकेपीसीएल ने अपना परिचालन 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया था, इसलिए, जीओजेएण्डके निवेश की पीवी गणना के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में इक्विटी के अंशदान पर विचार किया गया था।

- जीओजेएण्डके निवेश की पीवी गणना के उद्देश्य से, वर्ष 2000-01 से 2020-21 तक की अवधि को पीएसयू में जीओजेएण्डके के निवेश पर विचार करने हेतु लिया गया है।

पीएसयू में जीओजेएण्डके द्वारा किये गये निवेश की वर्ष-वार स्थिति और उन पीएसयू से संबंधित निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की गणना, जहाँ जीओजेएण्डके ने निवेश किया था, ***परिशिष्ट 5.7*** में इंगित की गयी है।

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर इन पीएसयू मे जीओजेएण्डके द्वारा निवेश की ऐतिहासिक लागत वर्ष 1999-2000 की शुरूआत में ₹352.29 करोड़ से बढ़कर ₹3,565.74 करोड़[15] हो गयी। वर्ष 1999-2000 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान जीओजेएण्डके ने इक्विटी (₹3,107.79 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹123.16 करोड़) के रूप में निवेश किया। इसके अलावा, जीओजेएण्डके ने जेकेपीडीसी में इस अवधि के दौरान योजना निधि में ₹520.12[16] करोड़ का निवेश किया।

31 मार्च 2021 तक जीओजेएण्डके द्वारा किये गये निवेश के पीवी की राशि ₹6,329.96 करोड़ थी। पीएसयू का निवल उपार्जन उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ₹314.11 करोड़ था।

40[17] पीएसयू, जहाँ जीओजेएण्डके द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, के संबंध में इन पीएसयू की लाभप्रदता का आंकलन करने कि लिए निवेशों की तुलना में आय का विश्लेषण किया गया था, जो **तालिका 5.15** में दी गयी है।

तालिका 5.15: प्रतिफल की वास्तविक दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में कुल निवेश का पीवी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	कुल आय[18]	आरओ-आरआर
2016-17	2,013.32	9.56	2,022.881	7.83	2,181.27	-1,406.44	-69.53
2017-18	2,181.27	101.63	2,282.903	7.23	2,447.96	192.85	8.45
2018-19	2,447.96	143.92	2,591.876	7.20	2,778.49	434.33	16.76
2019-20	2,778.49	2632.7	5,411.19	7.2	5,800.80	-1,022.15	-18.89
2020-21	5,800.80	130.57	5,931.37	6.72	6,329.96	306.12	5.16

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान, इन 40 पीएसयू का निवेश (वर्ष 2016-17 और वर्ष 2019-20 के अलावा) पर सकारात्मक प्रतिफल था। वर्ष

[15] अथ शेष: (₹352.29 करोड़) + इक्विटी: (₹3,107.79 crore) + ब्याज मुक्त ऋण: (₹123.16 करोड़)- इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋण :(₹169.92 करोड़)।

[16] यह निवेश वर्ष 2018-19 से 2020-21 से किया गया था और इस अवधि से पहले के निवेश को जीओजेएण्डके की इक्विटी में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

[17] जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड और सीवीपीपीपीएल को छोड़कर, जहाँ जीओजेएण्डके ने कोई निवेश नहीं किया था।

[18] नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार।

2020-21 के दौरान, ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर जीओजेएण्डके निवेश पर प्रतिफल 8.81 प्रतिशत था। हालांकि, निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करने पर प्रतिफल की वास्तविक दर केवल 5.16 प्रतिशत थी।

5.8 हानि वाले पीएसयू

वर्ष 2020-21 के दौरान, उनके नवीवतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार, 16 हानि वाले पीएसयू थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.8*** में वर्णित है। इन पीएसयू द्वारा हुआ हानियाँ वर्ष 2018-19 में ₹216.93 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹1,354.96 करोड़ हो गयी और उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार वर्ष 2020-21 में घटकर ₹214.51 करोड़ हो गयी, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 5.16** में दिया गया है।

तालिका 5.16: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि वाले पीएसयू का सारांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले पीएसयू की संख्या	वर्ष हेतु निवल हानि	संचित लाभ/ हानि	निवल मूल्य[19]
क. सांविधिक निगम				
2018-19	2	133.55	(-)1,324.27	(-)959.83
2019-20	2	132.98	(-)1,563.95	(-)1,309.35
2020-21	1	117.62	(-)1,634.94	(-)1,426.98
ख. सरकारी कंपनियाँ				
2018-19	8	83.38	(-)1,039.83	(-)956.10
2019-20	11	1,221.98	357.72	527.18
2020-21	14	93.71	(-)1,780.54	(-)1,643.83
ग. सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी				
2018-19	0	-	-	-
2019-20	0	-	-	-
2020-21	1	3.18	49.34	2,773.00
कुल पीएसयू				
2018-19	10	216.93	(-)2,364.10	(-)1,915.93
2019-20	13	1,354.96	(-)1,206.23	(-)782.17
2020-21	16	214.51	(-)3,366.14	(-)297.81

(स्रोतः 30 सितंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 और 30 नवंबर 30 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार)

वर्ष 2020-21 में 16 पीएसयू द्वारा किये गये कुल ₹214.51 करोड़ की हानि में से, ₹203.64 करोड़ की हानि हेतु सात पीएसयू को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो

[19] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूँजी और मुक्त भण्डार और अधिशेष कम संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त भण्डार का अर्थ है लाभ से सृजित सभी आरक्षित और शेयर प्रीमियम लेखा, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित आरक्षित एवं ह्रास प्रावधान का प्रतिलेखन शामिल नहीं है।

तालिका 5.17 में सूचीबद्ध है, जिन्होंने उपलब्ध करायी गयी उनकी नवीनतम सूचना के अनुसार ₹ पाँच करोड़ की हानि हुयी थी। वर्ष 2019-21 हेतु अधिकांश हानि जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा सूचित ₹1,139.41 करोड़ की हानि के कारण है। बैंक ने वर्ष 2020-21 में ₹428.45 करोड़ के अपने परिचालनों में लाभ को सूचित किया।

तालिका 5.17: ₹ पाँच करोड़ से ज्यादा हानियाँ उठाने वाले पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	117.62
2.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	36.39
3.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	20.54
4.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	8.60
5.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	8.38
6.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	6.14
7.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	5.97

(स्रोतः 30 नवम्बर 2021 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे)

5.8.1 पीएसयू में पूँजी का अपक्षरण

31 मार्च 2021 तक, ₹3,655.92 करोड़ की संचित हानि वाले 18 पीएसयू ***(परिशिष्ट 5.9)*** थे। इन 18 पीएसयू में से, 15 पीएसयू ने ₹211.34 करोड़ की राशि की हानि उठायी और तीन पीएसयू ने हानि नहीं उठायी थी, भले ही उन्हें ₹247.44 करोड़ की संचित हानि हुयी थी। 18 पीसयू में से, 11 पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानि से अपक्षरित हो गया था और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन 11 पीएसयू का निवल मूल्य 31 मार्च 2021 को ₹458.04 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹3,148.02 करोड़ था। इन 11 पीएसयू में से, जिनकी पूँजी का अपक्षरण हुआ था, वर्ष 2020-21 के दौरान दो पीएसयू ने ₹34.64 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

5.9 सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका

5.9.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक राज्य सरकार कंपनी और राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी[20] के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने और सांविधिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों को आवश्यक है कि उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाये और एक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाये।

5.10 सीएजी द्वारा पीएसयू के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) उपबंधित करती है कि एक राज्य सरकार की कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के अंदर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

5.11 पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अंदर तैयार किया जाना है और इस तरह की तैयारी के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा की गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए। सांविधिक निगमों में विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग एक जैसे प्रावधान विद्यमान हैं। यह क्रियाविधि राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण का उपबंध करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक पंचांग वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी उल्लेख है कि एक एजीएम की तारीख और अगली की तारीख के मध्य 15 महीनों से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129

[20] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें राज्य सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, और इसमें एक कंपनी शामिल है, जो सरकारी कंपनी की अनुषंगी है। केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

यह उपबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचारार्थ उक्त एजीएम में रखा जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन हेतु उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड का भी प्रावधान करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न पीएसयू के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में वर्णित है।

5.11.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 40 कंपनियाँ थी। इनमें से, वर्ष 2020-21 हेतु 35 सरकारी कंपनियों के लेखे देय[21] थे। हालांकि, केवल तीन सरकारी कंपनियों ने 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किये थे।

37 सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनके लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों का विवरण नीचे **तालिका 5.18** में दिया गया है:

तालिका 5.18: लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों का विवरण

विवरण		कुल
31.03.2021 तक सीएजी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या		40
कम: नयी कंपनियाँ जिनके लेखे वर्ष 2020-21 हेतु बकाया नहीं थे		0
कम: परिसमापनाधीन/ निष्क्रिय[22] कंपनियाँ		6
कंपनियों की संख्या जिनसे 2020-21 हेतु लेखे देय थे		34
30 नवम्बर 2021 तक सीएजी लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		3
बकायों में लेखाओं वाली कंपनियों की संख्या		31
बकायों का अलग-अलग विवरण	(i) निष्क्रिय	0
	(ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये	6
	(iii) अन्य	25
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकायों का अवधि-वार विश्लेषण	एक वर्ष तक (2020-21)	5
	दो वर्ष तक (2019-20 और 2020-21)	14
	तीन वर्ष और अधिक	17

बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन पीएसयू में जीओजेएण्डके निवेश की स्थिति के साथ इन कंपनियों का विवरण ***परिशिष्ट 5.10*** में इंगित किया गया है।

[21] लेखाओं को प्रस्तुत करने हेतु देय तिथि 30 नवम्बर 2021 तक तय की गयी थी।

[22] जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (परिसमापनाधीन); जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (निष्क्रिय)।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2021 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो सांविधिक निगम थे। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों में से, सीएण्डएजी जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएण्डएजी द्वारा संचालित की जाती है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम और जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम के लेखे 30 नवंबर 2021 तक प्रतीक्षित थे।

इन निगमों के विवरण के साथ-साथ बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन निगमों में जीओजेएण्डके के निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट 5.10*** में इंगित की गयी है।

5.12 सीएजी का पर्यवेक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निहित प्रारूप में और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणों को तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों को अपने लेखाओं को सीएजी के परामर्श से बनाये गये नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करना आवश्यक है।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन का अनुवीक्षण करके पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है और इस समग्र उद्देश्य के साथ निरीक्षण करता है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें समनुदेशित किये गये कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगें। निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करके इस कार्य का निर्वहन किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर पूरक या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु मुख्य उत्तरदायित्व एक अधिष्ठान के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर एक मत अभिव्यक्त करने हेतु उत्तरदायी हैं, जोकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की मानक लेखापरीक्षा रीतियों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा और सीएजी द्वारा दिये गये निर्देश पर आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करके की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, तो उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

5.13 सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2020-21 (या पूर्ववर्ती वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) हेतु संचालित पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की स्थिति पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय विवरण 30 नवम्बर 2021 तक दो[23] सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी[24] से प्राप्त हुये थे। इनमें से दो[25] सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गयी थी।

पिछले वर्षों के 32 लेखे भी एक जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुये थे, जिनमें से छह लेखाओं हेतु गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किये गये थे और पाँच लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गयी थी तथा 21 लेखे 30

[23] जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड और जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड।

[24] चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड।

[25] वर्ष 2020-21 हेतु जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र दिया गया था।

नवंबर 2021 तक लंबित थे। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित 10 पीएसयू के 42 लेखे, जो 1 जनवरी 2021 से पहले प्राप्त हुये थे, उनकी भी वर्तमान वर्ष के दौरान समीक्षा की गयी थी। 42 वित्तीय विवरणों में से, आठ पीएसयू के 32 लेखाओं हेतु टिप्पणियाँ जारी की गयी थी और दो पीएसयू को उनके लेखाओं के 10 वर्षों के लिए प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे।

5.14 अनुशंसाएं

1. सरकार वित्तीय विवरणों को शीघ्र अंतिम रूप देने को सुनिश्चित करने के लिए उन पीएसयू पर दबाव डाल सकती है जिनके लेखे बकाया हैं क्योंकि उन्हें अंतिम रूप देने के अभाव में, ऐसे पीएसयू में सरकारी निवेश विधायी पर्यवेक्षण से बाहर रहते हैं; और
2. संघ शासित क्षेत्र सरकार को निष्क्रिय पीएसयू के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया के आरंभ से संबंधित शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि वे न तो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन प्रयोजनों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिये उन्हें स्थापित किया गया था।

श्रीनगर/ जम्मू
दिनांक: 08 मई 2022

(प्रमोद कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 मई 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक